न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 114/2020
3. उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर
   बनाम
   श्री बृजमोहन पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल
   निवासी 307, जे.पी. कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 01/05/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, सुरेन्द्र सिंह बारेठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.11.2006 को सूचना पर मय स्टाफ के अप्रार्थी के निवास पर पंहुचे। अप्रार्थी के विरुद्ध शिकायत थी कि उसके द्वारा नीला केरोसीन खरीद करके उससे नकली तारपीन बनाया जाता है तथा उसकी बिक्री की जाती है। श्री बृजमोहन के मकान की जांच करने पर उसके यहां 140 लीटर नीला केरोसीन तथा 439.5 लीटर नीले केरोसीन से बनाया हुआ तारपीन पाया गया। केरोसीन तेल लाने ले जाने के लिये एक टैम्पो नम्बर आरजे–14–1जी–4736 पाया गया। जिसमें 8 जरीकेन खाली रखी मिली। मौके पर मौजूद अप्रार्थी ने उक्त केरोसीन व तारपीन तेल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये। ऐसी स्थिति में मौके से केरोसीन 137.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात), तारपीन 437.250 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) तथा 8 खाली जरीकेन मय टैम्पो नम्बर आरजे–14–1जी–4736 जब्त किये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द जप्ती की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 29.11.2006 को अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता स्वयं को उक्त जब्त टैम्पो का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 04.12.2006 को रुपये 25,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आरजे–14–1जी–4736 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी ने दिनांक 13.12.2006 को जवाब पेश किया जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी के यहां से न तो केरोसीन तेल जब्त हुआ है ना ही वह केरोसीन तेल का कारोबार करता है। जो सामान जब्त किये गये हैं वे उसने अपनी फर्म के नाम से विभिन्न बिलों के द्वारा बाजार से क्रय किये थे तथा अपने व्यवसाय स्थल से अपने घर लाकर रखे। निरीक्षणकर्ताओं ने जबरदस्ती सेम्पल की बोतलों पर नीला रंग होना बताया। उक्त सेम्पल न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वारा देखी जा चुकी है और पुलिस ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त सेम्पल बोतलों में नीला पदार्थ नहीं था। जब्त तारपीन का तेल अप्रार्थी द्वारा बाजार से खरीदा गया था उसे अपने यहां नहीं बनाया। अतः उक्त प्रकरण निरस्त कर अप्रार्थी को अभिग्रहीत वस्तुएं व टैम्पो वापस दिलाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में जवाब पेश करने के उपरान्त अप्रार्थी लगातार अनुपस्थित है। 2007 से लगातार F.S.L. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जब्त पदार्थ केरोसीन तथा तारपीन होना पाया गया था। चूंकि जो पदार्थ जैसा था वैसी स्थिति में ही जब्त किया गया था जिसकी F.S.L. रिपोर्ट लिये जाने के लिए पत्रावली का अब और आगे चलना उचित नहीं समझते। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद अप्रार्थी उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01.05.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम अर्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि दिनांक 16.11.2006 को सूचना पर अप्रार्थी के निवास से केरोसीन व तारपीन तेल मय वाहन के जब्त किया गया। मौके पर बृजमोहन मिले जिन्होंने फर्म के माल को सुरक्षा की दृष्टि से घर पर रखना बताया। मौके पर केरोसीन व तारपीन का तेल मय वाहन के जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी ने उक्त जब्त माल से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। प्रकरण में श्री बृजमोहन द्वारा स्वयं को वाहन का मालिक बताया व सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त जब्त वाहन को सौंप दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके साथ अनुज्ञापत्र व माल से संबंधित बिल भी पेश किये। जवाब में अप्रार्थी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त सेम्पल न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वारा देखा जा चुका है और पुलिस ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त सेम्पल बोतलों में नीला पदार्थ नहीं था। जबकि अप्रार्थी ने इससे संबंधित कोई साक्ष्य/सबूत अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये। जवाब में अप्रार्थी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त सामान सुरक्षा की दृष्टि से अपने व्यवसाय स्थल से घर लाकर रखा गया था। जबकि केरोसीन जो कि ज्वलनशीन पदार्थ है को व्यवसाय स्थल पर ना रखकर आबादी क्षेत्र में घर पर इतनी बडी मात्रा में रखा जाना सुरक्षा की दृष्टि से वैध नहीं है। अप्रार्थी ने जवाब मे अंकित किया कि उसके द्वारा वस्तुओं का बेचान प्रारम्भ नहीं किया गया है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त वस्तुओं से संबंधित बिल भी पेश किये जिनमें मई 2006 के बिल भी हैं। जब्ती की कार्यवाही माह नवम्बर 2006 में की गयी। माह मई से नवम्बर तक उक्त सामान की खरीद ही की गयी बेचान नहीं किया गया जो भी संदेहास्पद कि 7 महीने के लम्बे समय से केवल उक्त पदार्थों का भण्डारण ही किया जा रहा है। प्रवर्तन अधिकारी व स्टाफ द्वारा प्रथम दृष्ट्या उक्त पदार्थ केरोसीन व तारपीन होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त केरोसीन (उपभोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रकरण में बृजमोहन के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने पर टैम्पो के मोचन(रिलीज) आदेश जारी किये गये थे। परन्तु उक्त अवैध करोबार में उक्त वाहन की संलिप्तता रही है। जिससे केरोसीन व तारपीन तेल के अवैध परिवहन की पुष्टी होती है। ऐसे में केरोसीन 137.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात), तारपीन 437.250 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) तथा 8 खाली जरीकेन मय टैम्पो नम्बर आरजे–14–1जी–4736 का राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।